# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या – 98/2022 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 महेश पिता कैलाश ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 जगदीश पिता कैलाश ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
3 मु.कमला पत्नि स्व. कैलाश ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा

बनाम ———( प्रार्थी)

1 गणेश पिता जगन्नाथ देतवाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
2 देबीलाल पिता मिश्रीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
3 उगमलाल पिता नारायण देतवाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
4 सत्यनारायण पिता कुन्दनमल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
5 सत्यनारायण पिता ओम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
6 शंकरलाल पिता बालूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
7 दुर्गा शंकर पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
8 रमेश चन्द्र पिता गणेशीराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
9 घीसूलाल सोहनलाल ब्राहमंण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
10 लादुलाल पिता केशरमल जैन उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
11 देबीशंकर पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
12 महेन्द्र पिता अमोलक सिंह जैन उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
13 सुरजकरण पिता बालूराम ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
14 खाना पिता गोकल चमार उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
15 नाथू पिता लालाराम चमार उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
16 लादुलाल पिता सुखलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
17 भैरू पिता लाला चमार उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
18 शिवदयाल पिता शंभुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
19 गोपाल पिता हरिश चन्द्र छापरवाली उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
20 देवेन्द्र पिता रामप्रसाद शर्मा उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
21 मु.कमला पत्नि स्व.कन्हैयालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
22 कृष्णा पुत्री शंकर पत्नि रमेश ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया हाल आसोप
23 दिलीप कुमार पिता महावीर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
24 पूजा पुत्री महावीर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
25 मु.पप्पू पुत्री शंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
26 प्रेम देवी पत्नि शंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
27 भंवरलाल पिता कन्हैयालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
28 मु.भवरी उर्फ सुशीला पुत्री कन्हैयालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
29 मु.मधु पत्नि महावीर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
30 रमेश चन्द्र पिता शंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
31 राजेन्द्र पिता शंकर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पनोतिया तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाडा
32 मु.विष्णु पुत्री कन्हैयालाल पत्नि रघूवीर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी ईटमारिया तहसील शाहपुरा जिला, भीलवाडा
33 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

————( अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री सुनील कुमार शर्मा
श्री राहुल पारीक

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात**

## निर्णय

दिनांक – 05.04.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 08.06.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 412 के आ.न. 1064, 1064/2120, 1065, 1065/2121, 1069, 1070, 1071, 1121, 1124, 1126, 1135, 1156, 1165, 1166, 1168, 1169, 1741, 1742, 1743, 1990, 669, 686 किता 22 रकबा 3.90 हैक्टयर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 15.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

# आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम पनोतिया पटवार मण्डल देवरिया भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 412 के **आ.न.** 1064, 1064/2120, 1065, 1065/2121, 1069, 1070, 1071, 1121, 1124, 1126, 1135, 1156, 1165, 1166, 1168, 1169, 1741, 1742, 1743, 1990, 669, 686 **किता 22 रकबा** 3.90 **हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकंला, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला भीलवाड़ा